न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 17/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. ओटाराम पुत्र बुद्धाजी जाति मेगवंशी के का0मु0		1. वनाराम पुत्र चेनाराम
2. छोगी पुत्री ओटाराम पत्नी रामलाल जाति डांगी निवासी बाली हाज कृषि उपज मण्डी, सुमेरपुर		2. भुती पुत्री चेनाराम जातिगण भांबी निवासीगण भागली तहसील बाली
3. फुलकी पुत्री ओटाराम पत्नी लकमाराम निवासी बोया तहसील बाली		3. नेनाराम पुत्र वेनाराम के का0मु0 3.1 गजरो पत्नी नेनाजी 3.2 रमेश पुत्र नेनाजी 3.3 मांगीलाल पुत्र नेनाजी 3.4 कमला पुत्री नेनाजी जातिगण मेघवाल निवासीगण भागली हाल खुडाला तहसील बाली
4. लीला पुत्री ओटाराम पत्नी सोमाराम उर्फ नेनाराम निवासी बोया तहसील बाली		4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसील बाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री मोहम्मद शरीफ़ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री नरपतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 24.12.18

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 237/2008 वनाराम बनाम ओटाराम के का0मु0 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध खातेदारी घोषणा एवं स्थाई व्यादेश का वाद प्रस्तुत किया। जिसमें निवेदन किया कि जैर अपील विवादित आराजी वेना पुत्र खुशाला की बताते हुए वेना की मृत्यु के पश्चात स्वीकृत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नामान्तरकरण संख्या 28 दिनांक 21.10.1962 को भी विधि विरूद्ध होना बताते हुए रामा के उत्तराधिकारी होने के कारण खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। उक्त वाद में अपीलाण्ट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया था कि जैर अपील वादस्थ आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि रामा पुत्र केनीया की थी एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि को रामा पुत्र वेनीया की बताते हुए अनुतोष चाहा गया है। जो नामान्तरकरण दायर हुआ है, वह रामा पुत्र केनीया के नाम से दायर हुआ है, जिसे रेस्पोडेन्ट रामा पुत्र वेनीया बताते है। जैर अपील विवादित आराजी ओटिया पुत्र बुद्धा की कब्जा काश्तसुदा भूमि थी। उक्त कब्जे के समर्थन में अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा गिरदावरी आदि की प्रतियां प्रस्तुत की। राजस्व रेकर्ड में रामा पुत्र केनीया का नाम गलत रूप से दर्ज हुआ है। इस सम्बन्ध में ओटिया द्वारा भू–प्रबन्ध विभाग के समक्ष दिनांक 20.04.1976 को खसरा नम्बर 144 की भूमि पर स्वयं का कब्जा काश्त होने का निवेदन किया गया था। जिस पर सेटलमेन्ट विभाग द्वारा अपीलाण्ट के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था। इसके पश्चात लगान भी अपीलाण्ट के पिता ओटिया द्वारा जमा करवाया गया एवं कब्जा काश्त भी ओटिया का ही रहा है। अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष जो बयान कलमबद्ध करवाए, उनमें भी स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जैर अपील विवादित आराजी पर ओटिया का एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात अपीलाण्ट का कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का विगत 60 वर्षों से विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है एवं कब्जा प्राप्ति हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की है, इस कारण घोषणा का वाद भी स्वतः मियाद बाहर था। अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में रेस्पोडेन्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 10.03.1993 को अपने पक्ष में स्वीकृत करवाने हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिसको तहसीलदार द्वारा यह कहकर अस्वीकृत किया कि मामला उत्तराधिकार से सम्बन्धित है, इसलिए न्यायालय के आदेश होने के पश्चात ही स्वीकृत किया जावे। उक्त नामान्तरकरण जो वनाराम व नेनाराम के द्वारा भरे जाने का आदेश नहीं दिया। उक्त आदेश की रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई अपील नहीं की। इसके 25 वर्ष पश्चात वाद प्रस्तुत किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील वाद में तनकीयात कायम की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए एवं अपीलाण्ट को मात्र एक अवसर प्रदान करते हुए अगली तारीख पेशी पर शहादत का अवसर बन्द कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का जैर अपील विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा एवं न ही रामा पुत्र केनीया भागली गांव में निवासरत रहे थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 खुडाला नगरपालिका क्षेत्र फालना में निवासरत है, वे भागली गांव में नहीं रहते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया एवं अपनी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 से 3/4 के सम्बन्ध में भी अनुतोष चाहा गया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये प्रदान किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जो तनकीयात कायम की गई, वे परस्पर विरोधाभाषी है। जिसमें तनकी संख्या 5 रामा पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

केनीया के लाऔलाद से स्वयं उत्तराधिकारी बताकर रिलिफ चाही गई है व तनकी संख्या 1, 2 में वेनीया के उत्तराधिकार के रूप में अनुतोष प्रदान कराने का निवेदन किया है, जो विरोधाभाषी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 को वादी के पक्ष में निर्णित की गई है, जबकि तथ्य एवं साक्ष्य में विरोधाभाष होने के कारण वाद साबित ही नहीं होता था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात को रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में डिक्री किया है, जो विधि विरूद्ध है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट्स की पुश्तैनी खतोदारी भूमि है, जो पूर्व में रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों की भूमि थी। उक्त भूमि वेना पुत्र खुशाला की खातेदारी भूमि थी। वेना पुत्र खुशाला के तीन पुत्र एवं एक पुत्री थी, जो रामा, नेनाराम, वनाराम व भूती है। वेनीया की मृत्यु लगभग 50 वर्ष पूर्व हो चुकी है। वेनिया की मृत्यु के पश्चात जो नामान्तरकरण दायर किया गया है, वह मात्र रामा के नाम दायर हुआ है, जिसे अपीलाण्ट द्वारा स्वीकार किया गया है। इसमें रामा की वल्दियत कुशाला के स्थान पर केनिया कर दी। ओटिया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रामा केनीया की खातेदारी होना स्वीकार किया एवं उक्त भूमि पर स्वयं का कब्जा होने के कारण रामा का नाम खारिज कराते हुए राजस्व रेकर्ड में स्वयं का नाम दर्ज कराने का निवेदन किया, जिस पर अमीन द्वारा विधि विरूद्ध जांच रिपोर्ट की, जिसके आधार पर अपीलाण्ट के पिता ओटिया का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। जबकि भू–प्रबन्ध को खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। चूंकि रामा फोत हो चुका था, जिसके उत्तराधिकारी रेस्पोडेन्ट्स थे, जिनका नामान्तरकरण संख्या 15 वर्ष 1983 में दायर हुआ था, उक्त इन्द्राज को भू0अ0नि0 द्वारा जांच में सही पाए जाने पर भू0अ0नि0 द्वारा उक्त नामान्तरकरण को तहसीलदार बाली के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार बाली द्वारा विधि विरूद्ध रूप से दिनांक 09.02.1993 को अस्वीकृत कर दिया। इन समस्त कारणों से रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिसे रेस्पोडेन्ट्स द्वारा पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0डी0 2000 पेज 95, आर0आर0टी0 2009 (2) पेज 954, आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 391, आर0आर0टी0 2001 पेज 244, आर0आर0टी0 2018 (2) पेज 1030, आर0आर0टी0 2015 (2) पेज 1007, आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 1298, आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 1264, आर0आर0टी0 20121 (1) पेज 444, आर0आर0टी0 2015 (2) पेज 1083, आर0आर0टी0 2015 (2) पेज 1042 तथा डी0एन0जे0 (रेवे.) 2013 पेज 250 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया, उसका मुख्य आधार यह रहा कि ग्राम भागली के गत खसरा नम्बर 144, जिसके हाल खसरा नम्बर 293 रकबा 3.36 हैक्टेयर की भूमि, पूर्व में खातेदारी वेनीया पुत्र खुशाला की खातेदारी भूमि थी, जो रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज थे। वेनीया फौत होने पर जो फौतेदगी नामान्तरकरण दायर किया गया, वह वेनिया के पुत्र रामा के नाम दर्ज हुआ, जबकि वेनीया के रामा के अलावा दो पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 एवं पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या 2 थी। इसके पश्चात दौराने सेटलमेन्ट अपीलाण्ट के पिता ओटिया द्वारा उक्त भूमि पर स्वयं का कब्जा काश्त होना बताते हुए अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने का निवेदन किया, जिस पर अमीन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर ओटिया का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया। उक्त समस्त त्रुटी को दुरूस्त कराते हुए पुनः खातेदारी रेस्पोडेन्ट्स के नाम घोषित कराने का अनुतोष चाहा। प्रकरण में अपीलाण्ट के पिता ओटिया द्वारा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि ओटिया द्वारा उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में रामा पुत्र केनिया का नाम होना जाहिर किया, किन्तु कब्जा स्वयं का होने के कारण राजस्व रेकर्ड में स्वयं का नाम दर्ज कराने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर निरीक्षक द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसमें यह अंकित किया कि रामा पुत्र केनिया फौत हो चुका है, जिसका कोई जायज वारिश नहीं है, ओटिया ही उसका नजदीकी वारिश है, अतः ओटिया का नाम दर्ज किया जाना चाहिए। जिस पर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा ओटिया का नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए। जिस पर राजस्व रेकर्ड में ओटिया का नाम दर्ज किया गया। रेकर्ड के परीक्षण से यह स्थिति प्रकट होती है कि जमाबन्दी सम्वत् 2009, 2014 से 2017 के अनुसार गत खसरा नम्बर 144 की भूमि वेनीया पुत्र खुशाला कौम भांबी की खातेदारी के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इसके पश्चात वेनीया फौत होने पर जो नामान्तरकरण संख्या 28 दायर किया गया, जिसमें वेनीया के स्थान पर केनीया पुत्र खुशाला अंकित करते हुए उसके पुत्र रामा के नाम नामान्तरकरण दायर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2019 से 2022 में उक्त भूमि रामा पुत्र केनीया के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। रामा फौत होने पर उसका जो फौतेदगी नामान्तरकरण दायर किया गया, उसे उत्तराधिकारी सम्बन्धी प्रकरण होने के कारण सक्षम न्यायालय से आदेश होने पर नामान्तरकरण दायर करवाने का निवेदन किया। ओटिया द्वारा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी पार्टी संख्या 3 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर ओटिया का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया, हालांकि निरीक्षक की रिपोर्ट यह थी कि रामा फौत हो चुका है, जिसके कोई जायज वारिश नहीं है एवं ओटिया ही उसका नजदीकी वारिश होने के कारण ओटिया का नाम दर्ज कराने का निवेदन किया। अब प्रश्न यह प्रकट होता है कि क्या भू–प्रबन्ध अधिकारी को राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारी इन्द्राज को परिवर्तित करते हुए अन्य को खातेदार दर्ज करने के अधिकार प्राप्त थे ? इस सम्बन्ध मे विभिन्न न्यायालयों द्वारा मत व्यक्त किए गए है, इस सम्बन्ध में **RBJ(8)2001 Pg No. 170** में प्रतिपादित किया कि "Settlement – Settlement department must repeat the previous entries made in the revenue record. It is as established principle of law that settlement

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Department has no such right to change the entries, they have repeat the previous entries made in the revenue record as it is. The trial court has correctly appreciated the legal implication involved in the case after appreciating the evidence led by the parties. (Para 7) . **RBJ(10)2003 Pg No. 118** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan Land Revenue Act, 1956 Section 136- Settlement Authorities have no power to delete the original entries and make new entries- in this case during the settlement operation, Assistant Settlement officer deleted the name of the applicant who is a recorded Khatedar of the disputed land and made entries in name of non-applicants, whereas settlement authorities have no right to delete the original entry and made new entries without any other of the competent court, Revision Accepted (Para 5 & 6). **RRT 2008(1) Pg. No. 151** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy Act, 1955- Sec. 88 – suit for declaration- Petitioners declares Khatedar tenant of Kh. 734-RRA reversed the judgment & upheld by BOR-Settlement Department had no right to change the existing entries even admitting the possession of father respondent no. 4 respondent no. 4 should have file an independent suit- Held, RRA & Board were not justified in reversing the judgment & Decree. (Para 7,8). **RRD 14.07.2009 Pg. No. 456** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan Land Revenue Act, Section 136- Appeal against order of addl. Commissioner- held, an application was filled by non-petitioner for correction of entries in respect of disputed land area 2.23 hec.- Notice issued by Collector to 'P'-In absence of 'P', Collector passed the order as per Jamabandi Svt. 2034-37 to enter the disputed land in record as siwaichak land in khata No. 1- Land record Officer has the powers u/s 136- Settlement authorities have no power to delete the originally entries and make new entries- Concurrent findings of subordinate court are justified and legal- Orders confirmed – Direction issued to tehsildar. (Para 6 to 17). **RRD- 14.09.2012 Pg. No. 589** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act., Section 224- Appeals against order of R.A.A.- Held, appellants filed suit in the trial court stating 1/3 share in the disputed land according to Jamabandi Svt. 2011 to 2030 and 2037 to 2040- Share of 'K' was stated 2/3-During settlement parcha were issued in which non-petitioners were also added- Trial court stated that settlement authorities are not competent to change the previous entries existed in the revenue record without the orders of competent athoriry, or succession, or transfer, or by a certified mutation order- In appeal , order passed by R.R.A. against the record and evidence- Entries of Jamabandi svt. 2011-30 and 2037-40 are important- As per entries have been changed by settlement staff during 2046-2066 (1989-2009) without permission of the authorized officer are illegal- Entries of Jamabandi svt. 2011-30 and 2037-40 are important- In both the cases entries exist- Order Dt. 01.08.2007 is against evidence- Orders is not substantial and deserves to be cancelled – Orders of first appellate, set aside- Order and decree of trail court confirmed.(Para 9 to 17). **RRD 1998 Pg. No. 188** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan Tenancy Act. Section 53 & 212- Trial Court issued injunction against defendants for alienating land- Order reversed by R.A.A. in appeal- Second appeal-held, disputed land is ancestral and three sons of 'R' are entitled 1/3 share each- Settlement authorities are not empowered to alter or modify the extent of nation share of co-tenants even by consent of parties- Alienation is possible after partition u/s 53- Settlement

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

authority has reduced the national share of 'T' & 'N' in the joint holding without jurisdiction- Non- petitioner cannot be allowed to alienate the land in question –Order of R.A.A., set aside and order of trial court restraining defendants from alienating the land, restored. (Para 4 to 7). **RRD 1998 Pg. No. 440** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy Act, Section 53, 88 & 212 – Revision against impugned order of R.A.A. allowing defendant to cultivate 1/4 share on payment of case security till decision of suit- Held, it is an admitted fact that – 'L' and 'J' were real brothers and co-tents with equal shares in land- 'L' and Mst. 'C' were husband and wife and ptff. No. 1 are real Brothers born out from this wedlock- Affidavit also given by Mst. 'C'-the another- and others- this brings out prima facies case in favour of plaintiff – Defendant claims his sole right on the disputed land – Land recorded in the name of eldest son does not oust other – Injunction can be granted against a co-tenant if he denies the right of another co-tenant – Petitioner has not denied allowing him to cultivate 1/4 of the total land on cash security fixed by court – Order of R.A.A., Justified. (Para 7 to 11). **RRD 1998 Pg. No. 520** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy Act, Section 53 & 212 – Revision against impugned order of R.A.A. confirming trail court's order rejecting application for T.I. of ptffs. In respect to 1/3 share against defts. – Held co-tenancy of ptffs. And deft. Nos. 1 & 2 recorded as 1/3 share each in disputed land in Jamabandi St. 2008-23 – During consolidation, entries changed by settlement authorities without authority and recorded 'J' alone on disputed land 10 bighas 2 biswas in Jamabandi St. 2041-44 – suit filed by ptff. For partition and T.I. – Defts. Denied ptffs. Possession on disputed land but did not produce evidence how they came in possession on 10 bighas 2 biswas – T.I. can be issued against co-tenants when possession is challenged and tenancy is refused – Court below have misread the evidence – Concurrent findings can be interfered when illegality occurs in applying provision of law – orders of subordinate court, set aside – T.I. against non-petitioners issued prohibiting them to disturb plaintiffs possession on 1/3 share and to take new electric connection in their name – Status quo ordered to be maintained on the spot situation. (Para 4 & 5) **RRD 2000 Pg. 19** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy Act, Section 53, 88 & 212 – Revision against impugned order of R.A.A. – Held , plaintiff and defendant are real brothers – Dispute regarding shares in disputed land is due to consolidation – Real position will be considered about share and well in the trial of the suit – R.A.A. exceeded jurisdiction – Orders set aside – Order of trail court granting T.I. Restored. (Para 4 to 9) Revision Accepted. **RRT 2007(1) Pg. No. 27** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy Act, 1955 Section 212 – Temporary injunction – Settlement department – attested the mutation though department has no Right to change the entries – Petitioner was recorded as Khatedar in Jamabandi is without jurisdiction and ab initio void – Held, Mutation No. 729 is set aside & Declared void. (Para 6,7,10). **RRT2015(2), pg. 88 11/12.10.2015 & 2015(2)RRT 1214 Charan singh & ors. vs. Khubi & ors.** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan Tenancy Act, 1955- Sec. 88- Suit for declaration of Khatedari rights-Share of the plaintiff wrongly entered 1/12 instead of 1/8-suit decreed-Appeal dismissed- Trial court corrected the error committed by the Settlement department-Settlement department is bound to appeal the entries- Held, Appeal is devoid of substance & dismissed. **RRD 1992 Pg.**

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

117 Ruda vs. Nathu & ors. में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy Act, Section 53 – Order of Assistant Land Records Officer ostensibly correcting revenue but in fac amounting to an order dividing the holding – order is without jurisdiction. (Para5) Jurisdiction – Order passed without jurisdiction, howsoever precise, certain or recnuically correct is a nullity and is not only voidable, but vold. Indian Limitation Act, Section 3 – The question of limitation should not arise in the case of an order passed without jurisdiction and is, therefore, void-such an order can be set aside at any time (Para 5). इन न्यायिक उद्धरणों से यह भली भांति सिद्ध होता है कि भू–प्रबन्ध विभाग को गत इन्द्राज को बदलने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इस परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा जो इन्द्राज में परिवर्तन किया गया है, वह विधि विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने की कोई विधिक अवधारणा नहीं है तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा को विधि विरूद्ध माना है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 721 जगदीश व अन्य बनाम सीताराम व अन्य में यह प्रतिपादित किया है कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 – धारा 232 – परिसीमा अधिनियम 1963 अनुच्छेद 64 व 65, रेफरेन्स– खातेदारी अधिकार का प्रतिकूल कब्जा के आधार पर प्रदान किये जा सकते हैं – काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित मामलों में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागू होते हैं – प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते – नया कानून प्रतिपादित करने की राजस्व मण्डल को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0एल0सी0 (एच.सी.) सिविल पेज 32 स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम मुकेश कुमार व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " प्रतिकूल कब्जा –विधि सुधार– प्रतिकूल कब्जे की विधि पर नया दृष्टिकोण अपनाये जाने की अत्यावश्यकता की दृष्टि से संसद या तो इस विधि को समाप्त कर दे अथवा इसमें संशोधन करें। तथ्यों के आधार पर प्रतिकूल कब्जे के दावे को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया जाना मान्य रहा।" इसी प्रकार आर0जे0टी0 2011 (1) पेज 468 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " प्रतिकूल कब्जा – केवल कब्जा कितना ही लम्बा हो, का तात्पर्य नहीं है कि वास्तविक मालिक के यह प्रतिकूल है – कब्जा प्रतिकूल एवं विवृत हेना चाहिये। प्रकिूल कब्जा साबित करने में अपीलाण्ट असफल रहा। न तो आशमित विक्रय पत्र, न विक्रय करार रेकॉर्ड पर पेश किया। प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वत्व साबित नहीं किया।" इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0एल0सी0 2009 (1) पेज 69 में प्रतिकूल कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्धारित किया कि "प्रतिकूल कब्जे की विधि का दोष–प्रतिकूल कब्जे का न अभिवचन और न उसकी साक्ष्य–ऐसी परिस्थिति में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर डिक्री त्रुटीपूर्ण–प्रतिकूल कब्जे की विधि बेईमानी का पुरस्कार है।" उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विधिक दृष्टिकोण से त्रुटीपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों एवं विधिक बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गाय है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 237/2008 वनाराम बनाम ओटाराम के का0मु0 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2016 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली